(4)

न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक)नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

सी.सी.एम.एस. नम्बर– 2021/45

मुकदमा नम्बर 44/2019 दायर दिनांक : 12–03–2019

श्रीराम पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री शीशूपाल सिंह कुल्हरी
वकील प्रति. :– राजपैरोकार

दावा : बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व नक्शा में तरमीम
:: निर्णय ::

दिनांक – 28–02–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में खाता संख्या 128 की भूमि खसरा नम्बर 186 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 1.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 448/220 रकबा 1.00 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 4.45 हैक्टर अवस्थित है, जो वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि मे से भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 448/220 रकबा 1.00 हैक्टर के मध्य से कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मगर उक्त रास्ता प्रचलन में नही है, वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर की पश्चिमी व उतरी सीमा के सहारे–सहारे जिमसें ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क डाली हुई जिससे ही आवागमन चालू है, खसरा नम्बर 447/200 रकबा 0.03 हैक्टर में दर्ज रास्ते की प्रसांगिकता (आवश्यकता) नही है। उक्त रास्ते को कटाण से हटाया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड पगडण्डियां तथा रास्ते का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी की खातेदारी मे दर्ज किया जावे तथा वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में प्रचलित आवागमन का रास्ता जो खसरा नम्बर 446/220 रास्ता से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आगे उतरी सीमा के सहारे–सहारे आगे कटाण शुदा रास्ते तक कटान का रास्ता दर्ज किया जाकर ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जावे तथा उक्त रास्ते में करीब रकबा 0.05 हैक्टर जाती है, उक्त रकबा वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में से कम किया जाकर उक्त रकबा को मीन खसरा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड में पगडण्डियां तथा रास्ते का अंकन दर्ज किया जावे। वादी को इसलिए ही उक्त वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व किये जाने तरमीम का पेश करना आवश्यक हुआ।

पूर्व में नक्शा ट्रेश में दर्ज रास्ता प्रचलन में नही है, न [illegible] कोई उपयोग है, वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 220 मे खसरा नम्बर 446/220 रास्ता प्रचलन में है [illegible] ही उपयोग में लिया जा रहा है, इसी रास्ते को आगे बढाकर खसरा नम्बर 220 की पश्चिमी सीमा [illegible] आगे उतरी सीमा के सहारे–सहारे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु [illegible] रिकार्ड में तरमीम करवाने [illegible] नम्बर 447/220 का रास्ता राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने हेतु आवश्यक [illegible]।

राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि होने व वादी को पता चलने व दिनांक 11.01.2019 को नकल प्राप्त करने के रोज वादकारण पैदा हुआ। वादग्रस्त रास्ता अदालत हाजा क्षेत्र में अवस्थित होने से अदालत हाजा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:03 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(5)

सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। वाद घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व नक्शा तरमीम करवाने का है, जो 4/- रूपये की पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया गया है।

वादी द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वादी बहक खिलाफ प्रतिवादी नम्बर 1 को इस आश्य की घोषणा की डिक्री फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 220 में दर्ज रास्ता खसरा नम्बर 446/220 जो पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, उसके आगे पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे व आगे उतरी सीमा के सहारे–सहारे आम रास्ता दर्ज कर दिया जावे जिसका रकबा 0.05 हैक्टर तथा राजस्व रिकार्ड व ट्रेस नक्शा में तरमीम किया जावे व भूमि खसरा नम्बर 447/220 गैर मुमकीन रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में तरमीम हटाई जाकर उक्त रकबा 0.03 हैक्टर की खातेदारी वादी के नाम से दर्ज की जावे। अन्य कोई सहायता जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक में पड़ती हो वह भी दिलाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से राज पैरोकार उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 2 की सम्यक तामिल के बावजूद इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से पैरोकार राज ने जवाब दावा प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम कैमरी की ढाणी के खसरा नम्बर 220 की खातेदारी श्रीराम पुत्र लक्ष्मण जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामिण बैंक खिरोड़ मुर्तहीन दर्ज है। खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज है जो कि खातेदार द्वारा राजहक में समर्पण की गई थी। वर्ममान में राजहक में समर्पण की गई भूम खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर जो कि राजस्थान सरकार के नाम है रास्ते के काम नही आ रही है। वर्ममान मे वर्णित समर्पित भूमि खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर के एवज में खसरा नम्बर 220 की उतरी पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 0.05 हैक्टर का रास्ता निकाल रखा है जो कच्ची पेन्सिल से दर्शाया गया है तथा मोके पर रास्ता चालू है। अतः खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय के बदले में वादी की सहमति से स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु राजकीय घोषित किया जाता है तो भूमिधारी को कोई ऐतराज नही है।

जवाब देही पेश होने पर शहादत ली गई। शहादत वादी मे वादी श्रीराम उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये जो पी.डब्ल्यू–1, तथा मोहन सिंह पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी कैमरी ने शपथ पत्र पेश किये जो पी.डब्ल्यू–2, दिनेश कुमार पुत्र विधाधर जाति जाट निवासी कैमरी की ढाणी उपस्थित न्यायालय हाजा होकर अपने शपथ पत्र पेश किये जो पी.डब्ल्यू–3 है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात् नकल जमाबंदी प्रदर्श–1, नकल ट्रेश नक्शा प्रदर्श–2, जमाबंदी खसरा नम्बर 447/220 जो प्रदर्श–3 प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील बहस भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 448/220 रकबा 1.00 हैक्टर के मध्य से कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मगर उक्त रास्ता प्रचलन में नही है, वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर की पश्चिमी व उतरी सीमा के सहारे–सहारे जिमसें ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क डाली हुई जिससे ही आवागमन [illegible] खसरा नम्बर 447/200 रकबा 0.03 हैक्टर में दर्ज रास्ते की प्रसांगिकता (आवश्यकता) नही है। उक्त [illegible] को [illegible] से हटाया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड पगडण्डियां तथा रास्ते का इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर [illegible] किया जावे। वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में प्रचलित आवागमन का रास्ता जो खसरा नम्बर 446/220 रास्ता से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आगे उतरी सीमा के सहारे–सहारे आगे कटाण शुदा रास्ते तक कटान का रास्ता दर्ज किया जाकर ट्रेस नक्शा में तरमीम किया पूर्व में नक्शा ट्रेश में दर्ज रास्ता प्रचलन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:21:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

(6)

नहीं है, न ही उसका कोई उपयोग है, वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 220 मे खसरा नम्बर 446/220 रास्ता प्रचलन में है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर व खसरा नम्बर 448/220 रकबा 1.00 हैक्टर के मध्य से कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेश से प्रमाणित होता है। उक्त रास्ता प्रचलन में नही है तथा ना ही इस रास्ते पर किसी प्रकार का आवागमन है। वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर की पश्चिमी व उतरी सीमा के सहारे–सहारे जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ग्रेवल सड़क डाली हुई। खसरा नम्बर 447/200 रकबा 0.03 हैक्टर में दर्ज रास्ते की प्रसांगिकता (आवश्यकता) नही है। वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 220 मे खसरा नम्बर 446/220 रास्ता प्रचलन में है। तहसीलदार नवलगढ़ के जवाब/रिपोर्ट तथा प्रदर्श–1 लगातय 3 से प्रमाणित होता है। भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ ने अपने जवाब में सहमति प्रदान की गई है कि खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय के बदले में वादी की सहमति से स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु राजकीय घोषित किया जाता है तो भूमिधारी को कोई ऐतराज नही है। वादी को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश कैमरी की ढाणी

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी, पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय के बदले में वादी व भूमिधारक की सहमति से वादी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु राजकीय घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय रास्ते की भूमि को रास्ते से हटाया जाकर वादी के खाते में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. एम. (फा.ट्रै.) नवलगढ

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

नोट– आदेश दिनांक 18/5/22 के अनुसरण मे निर्णय मे आदेश के पेरा मे राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी के स्थान पर राजस्व ग्राम कैमरी की ढाणी संशोधित किया जाता है।

ए. सी. एम. (फा.ट्रै.) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:03 IST
Reason: SelfAttested

(7)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) मुकाम बईजलास नवलगढ
दमयंती कंवर (आर0ए0एस0) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 44/2019 (श्रीराम बनाम राजस्थान सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर0ए0एस0),ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.), नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

केमरी की ढाणी ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

निर्णय दिनांक 28.02.2022 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय के बदले में वादी व भूमिधारक की सहमति से वादी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.49 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु राजकीय घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 447/220 रकबा 0.03 हैक्टर राजकीय रास्ते की भूमि को रास्ते से हटाया जाकर वादी के खाते में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28.02.2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

नोट– आदेश दिनांक 18/5/22 के अनुसरण में राजस्व ग्राम तुर्कानी जोहडी के स्थान पर ग्राम केमरी की ढाणी संशोधित किया जाता है

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:11:03 IST
Reason: SelfAttested